

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या -134/2019 (Bank Case)

इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम-62-63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

- प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु राम चौधरी
बंधककर्ता

(ऋणी /

2. कला चौधरी

निवासी-1. प्लॉट नं० 611, अनन्तपुरा आवासीय योजना कोटा।

2. 51, जवाहर नगर, धानावाडी का केसरा, वार्ड नं० 56,
तहसील-लाडपुरा, कोटा

3. 798, परशांती के पीछे, वार्ड नं० 38, महावीर नगर द्वितीय,
तहसील लाडपुरा जिला कोटा

- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित:-

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 03.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम-62-63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30.10.2010 को 22,40,000/- रुपये (अक्षरे बाईस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 611, अनन्तपुरा आवासीय योजना, कोटा-324009, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 175.5 वर्गमीटर हैं, जो जर्गे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.11.2010 से अप्रार्थी नं० 1 के नाम है । को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 11.06.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे रुपये 20,53,436/- (अक्षरे रुपये बीस लाख तिरेपन हजार चार सौ छत्तीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 12.06.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.06.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति " व अंग्रेजी में "दी टाइम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 29.06.2018 को

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)


प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 11.06.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति" व अंग्रेजी में "दी टाइम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 29.06.2018 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 11.06.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति" व अंग्रेजी में "दी टाइम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 29.06.2018 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता में अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 611, अनन्तपुरा आवासीय योजना, कोटा-324009, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 175.5 वर्गमीटर है, जो जर्ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.11.2010 से अप्रार्थी नं० 1 के नाम है। का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा